मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रषासन विभाग,
भोपाल

क्रमांक सी–6–7/96/3/1 भोपाल, दिनांक 31.3.1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेष

विषय : जिलों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर अनुषासनात्मक कार्यवाही के अधिकारों का प्रत्यायोजन।

संदर्भ : इस विभाग का ज्ञापन क्र. सी/6–7/96/3/1, दिनांक 23.05.96

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें जिसके द्वारा कलेक्टरों को उनके जिलों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (पुलिस कर्मियों को छोड़ कर) को निलंबित करने एवं लघुषास्ति अधिरोपित करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। मध्यप्रदेष राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी, 1997 में प्रकाषित उक्त आदेष की प्रति संलग्न प्रेषित है।

(यू.एस.बिसेन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रषासन विभाग
भोपाल, मध्यप्रदेष

पृ.क्र. सी–6–7/96/3/1, भोपाल दिनांक 31.3.1997

प्रतिलिपि

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त म.प्र., भोपाल
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र., भोपाल
3. महानिदेषक, प्रषासन अकादमी म.प्र., भोपाल

2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म.प्र., भोपाल
   राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
3. मा. मुख्यमंत्री जी / उपमुख्यमंत्री जी / मंत्रीगण एवं राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/ निज सहायक, म.प्र.
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल
6. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल
7. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य प्रषासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर / भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर
8. महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेष जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
9. प्रमुख सचिव / सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रषासन विभाग, मंत्रालय
10. अवर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख शाखा/ मुख्यलेखाधिकारी / पुस्तकालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
11. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
12. सामान्य प्रषासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा–15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित।

(यू.एस.बिसेन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेष शासन
सामान्य प्रषासन विभाग
भोपाल, मध्यप्रदेष

भोपाल, दिनांक 23 मई 1996

क्र. सी– 6–7–96–3–एक.–(1) राज्य षासन एतद द्वारा कलेक्टरों को उनके जिले में पदस्थ सभी विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (पुलिस कर्मियों को छोड़कर) को मध्यप्रदेष सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1996 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबित करने एवं ऐसे कर्मचारियों पर उपरोक्त नियमों के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित करने के अधिकार प्रत्यायोजित करता है।

2. यह आदेष जारी होने के दिनांक से प्रभावषील होगा।

मध्यप्रदेष के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेषानुसार
शरदचन्द्र पण्डया, अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्र. सी–6–9(ए)/99/3/एक — भोपाल, दिनांक 13.4.2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषय : टास्क समूह क्र.–1 की अनुषंसा–पंचायतों को अंतरित अमले पर अनुषासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार।

टास्क समूह क्रमांक–1 की अनुषंसा के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों को अंतरित अमले पर लघु शास्ति अधिरोपित करने, एवं निलंबित करने के अधिकार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रदत्त किये गये हैं।

समसंख्यक आदेष दिनांक 21.2.2000 (मध्यप्रदेष राजपत्र साधारण दिनांक 3 मार्च, 2000) सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। तत्संबंध में कृपया अपने अधीनस्थ को अवगत कराने का कष्ट करें।

(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेष शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रषासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2000

क्र. सी–6–9(ए)–99–3–एक.–मध्यप्रदेष सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1996 के अधीन प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (1), नियम 12 के उपनियम (2) तथा नियम 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेष के राज्यपाल, संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण, कृषि पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पषु चिकित्सा, मछलीपालन, महिला तथा बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा षिक्षा, स्कूल षिक्षा, समाज कल्याण तथा ग्रामोद्योग विभाग के ऐसे तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवकों के बारे में, जिनकी सेवाएं मध्यप्रदेष पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (बारह) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के नियंत्रण के अधीन दी गई है, निलंबित करने या लघु शक्तियां, जैसा कि उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से चार में यथाविनिर्दिष्ट हैं, अधिरोपित करने के लिये सषक्त करते हैं, और ऐसा सरकारी सेवक मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेष के विरूद्ध संबंधित विभाग के प्रमुख को अपील कर सकेगा।

राज्यपाल के नाम से तथा आदेषानुसर
एम.के.वर्मा,
उपसचिव

भोपाल दिनांक, 21 फरवरी, 2000

क्र. सी–6–9(ए)–99–3–एक.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण, में इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी–6–9(ए)–99–3–एक., दिनांक 21 फरवरी 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाषित किया जाता है।

राज्यपाल के नाम से तथा आदेषानुसर
एम.के.वर्मा,
उपसचिव